मिजोरम का समीकरण, कांग्रेस ने कहा भाजपा कर सकती है खरीद-फरोख्त

आइजोल, 15 नवम्बर (ए)। मिजोरम में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने आरोप लगाया कि विधानसभा चुनावों के पश्चात भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ''किसी भी कीमत पर सत्ता हथियाने'' के लिए खरीद-फरोख्त का सहारा ले सकती है और ऐसे हालात में निर्दलीय विधायकों को आसानी से लुभाये जाने की आशंका रहती है। भाजपा की राज्य इकाई ने, इस आरोप का कड़ाई से खंडन करते हुये कहा है कि उनका दल कभी भी खरीद-फरोख्त में संलग्न नहीं रहा और न ही ऐसा करने का उसकी कोई मंशा है। विदित हो कि 40 सदस्यीय राज्य विधानसभा के लिए चुनाव 28 नवम्बर को होंगे। पूर्वोत्तर का यह एकमात्र राज्य है जहां कांग्रेस सत्तारीन है। राज्य में सत्तारूढ़ दल ने जोरम पीपुल्स मूवमेंट (जेडपीएम) पर भी प्रहार किया। जेडपीएम सात संगठनों का समूह है एवं इसके 35 प्रत्याशी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता लालियानचुहुंगा ने यहां कहा, '' भाजपा किसी भी कीमत पर सत्ता प्राप्त करना चाहती है और इस सौदेबाजी में निर्दलीय प्रत्याशियों के लिए सर्वाधिक खतरा रहता है।'' उन्होंने आरोप लगाया कि अगर भाजपा दो तीन सीटों को जीत लेती है तो वह पिछले दरवाजे से सत्ता में आने के लिए विधायकों को लुभाने में लग जायेगी, जैसा कि उसने मेघालय एवं नागालैंड में किया है। भाजपा प्रवक्ता लालरोजारा ने कहा कि खरीद-फरोख्त के आरोप पूरी तरह से निराधार हैं और कांग्रेस के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर है। कांग्रेस भगवा दल की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का प्रयास कर रही है।

रिश्वतखोरी मामले में गिरफ्तार पूर्व मंत्री जनार्दन रेड्डी को मिली जमानत

बैंगलूरू, 15 नवम्बर (ए)। कर्नाटक के पूर्व मंत्री और अरबपति खनन कारोबारी जनार्दन रेड्डी को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने 1 लाख रुपए के बॉन्ड पर उन्हें जमानत दे दी है। रेड्डी को 11 नवंबर को बेंगलुरु पुलिस की सेंट्रल क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया था। षष्ठम अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दी जगदीश ने रेड्डी की जमानत अर्जी पर अपने आदेश में कहा कि इसकी अनुमति दी जाती है। शहर पुलिस की केंद्रीय अपराध शाखा (सीसीबी) ने रविवार को रेड्डी को गिरफ्तार किया था एक मजिस्ट्रेट अदालत ने उन्हें 24 नवंबर तक की न्यायिक हिरासत में भेजा था। रेड्डी को गिरफ्तार करने से पहले उनसे लंबी पूछताछ की गयी। वह तीन दिन तक गायब रहने के बाद सीसीबी के सामने पेश हुए थे। पुलिस ने करोड़ों रुपये की एक पोंजी योजना से कथित तौर पर जुड़े करोड़ों रुपये के लेनदेन के सिलसिले में पिछले साल रेड्डी को भगोड़ा घोषित किया था। क्राइम ब्रांच की जांच में खुलासा हुआ कि रेड्डी और खान ने एम्बिडेंट मार्केटिंग से 18 करोड़ रुपए की कीमत का 57 किलो सोना लिया। यह सोना प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों से एम्बिडेंट के प्रमोटर सैयद अहमद फरीद को ढील देने की बात करने के बदले लिया गया था। क्राइम ब्रांच ने रेड्डी और खान को रविवार को पूछताछ का नोटिस दिया था।

राम मंदिर पर अध्यादेश नहीं, मोदी ने आरएसएस को दिया संकेत

नई दिल्ली, 15 नवम्बर (ए)। मोदी सरकार अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए संसद के शीतकालीन सत्र में कानून बनाने या अध्यादेश लाने के मूड में नहीं। यद्यपि आर.एस.एस. प्रमुख मोहन भागवत ने खुलेआम मांग की है कि मंदिर निर्माण के लिए सरकार द्वारा कानून बनाया जाए। मोदी सरकार का कहना है कि वह जनवरी 2019 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की प्रतीक्षा करना पसंद करेगी। एक वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, ''हम आर.एस.एस. प्रमुख मोहन भागवत की भावनाओं का सम्मान करते हैं जो न्याय प्रक्रिया में हो रहे विलंब के कारण निराश हैं मगर इस चरण पर कानून बनाने का रास्ता वांछनीय नहीं। लेकिन पार्टी नेतृत्व आर.एस.एस. को राम मंदिर के निर्माण के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान छेडने से नहीं रोक पाएगा क्योंकि इससे हिंदू वोट मजबूत होंगे मगर प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं कि वह अप्रैल-मई 2019 में सत्ता में अपने 5 वर्षों के दौरान उनकी सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों के नाम पर वोट प्राप्त करें। वह निजी तौर पर राम मंदिर को चुनावी मुद्दा बनाने के पक्ष में नहीं मगर वह लोकसभा चुनावों से पहले राम मंदिर के आसपास 'आशा' का वातावरण बनाने के खिलाफ नहीं। राकेश सिन्हा द्वारा संसद में पेश किए जाने वाले प्राइवेट मैम्बर बिल का भाजपा 11 दिसम्बर को 5 विधानसभा के चुनाव परिणामों के बाद संसद का मूड जानने के लिए इस्तेमाल करेगी। भाजपा नेतृत्व इस बात को लेकर भी उक्षवतित है कि उनके कुछ सहयोगी दल विशेषकर जनता दल (यू) राम मंदिर के लिए किसी कानूनी रूट का विरोध कर सकते हैं। जद (यू) ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकार को कोई कदम उठाने से पूर्व उच्चतम न्यायालय के फैसले की प्रतीक्षा करनी चाहिए। रोचक बात यह है कि भागवत उस समय दिल्ली और वाराणसी में थे जब मोदी भी दोनों दिन वहां मौजूद थे मगर दोनों के बीच मुलाकात नहीं हुई।

जम्मू के गांव से भारी मात्रा में चीन में बने हथियार और विस्फोटक बरामद

श्रीनगर, 15 नवम्बर (ए)। राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने भारतीय सेना के साथ एक समन्वित प्रयास में जम्मू के एक गांव से भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद किया जिन पर चीन निर्मित होने के निशान हैं। बुधवार को जारी एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी सामने आई है। इसमें बताया गया है कि मंगलवार को इस अभियान में एक संदिग्ध पाकिस्तानी नागरिक मारा गया था। डीआरआई द्वारा जारी बयान में बताया गया है कि जब्त किये गये हथियारों और विस्फोटकों में एक एके-56 राइफल, 15 हथगोले, 60 चक्र गोला-बारूद सहित अलग-अलग चीन के निशान वाले पांच पिस्तौल, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) के 12 डेटोनेटर और 234 चक्र गोला-बारूद शामिल है।

हेराल्ड हाउस खाली होगा या बना रहेगा कब्जा हाईकोर्ट में अब 22 नवंबर को होगी अहम सुनवाई

नई दिल्ली, 15 नवम्बर (ए)। नेशनल हेराल्ड बिल्डिंग की लीज समाप्त करने के केंद्र सरकार के फैसले को लेकर एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में बृहस्पतिवार को अहम सुनवाई हुई। कोर्ट में वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि यह दुर्भावनापूर्ण है और राजनीति से प्रेरित है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मसले पर सुनवाई के लिए अगले तारीख 22 नवंबर तय की है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि इस पर तत्काल सुनवाई की कोई जरूरत नहीं है। न्यायमूर्ति सुनील गौड़ के सख्त रुख को देखते हुए एजेएल के वकील ने जल्द सुनवाई के लिए जोर दिया था। इस पर न्यायमूर्ति सुनील गौड़ ने याचिका को 15 नवंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया था।

सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति सुनील गौड़ ने कहा था कि अब तक अदालत को केस की फाइल नहीं मिली है और अदालत इस मामले की सुनवाई अभी नहीं करेगी। पीठ ने यहां तक कहा कि केंद्र सरकार जबरदस्ती कब्जा नहीं लेगी, अभी

सिर्फ वह कागजात पर कब्जा लेगी।

उधर, एजेएल अधिकारी सुनील फर्नांडिस ने दलील दी थी कि केंद्र सरकार ने 15 नवंबर तक इमारत खाली करने के आदेश दिए हैं, इसलिए याचिका पर सुनवाई जरूरी है। वहीं, केंद्र सरकार के स्टैंडिंग काउंसल राजेश गोगना ने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रक्रिया शुरू कर दी है और अगर एजेएल ने परिसर पर कब्जा नहीं छोड़ा तो कार्रवाई की जाएगी। याचिका के अनुसार, शहरी विकास मंत्रालय की ओर से 30 अक्टूबर को एजेएल को भेजे गए नोटिस में लीज खत्म करने की बात कही गई है। साथ ही 15 नवंबर तक आइटीओ स्थित प्रेस एंक्लेव परिसर से जगह खाली करने को कहा गया है।

याचिका के अनुसार, केंद्र सरकार ने जगह न खाली करने पर पब्लिक प्रिमिसेस इवेक्शन एक्ट के तहत कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। आदेश में कहा गया है कि दस वर्षों से वहां कोई प्रेस काम नहीं कर रहा है। इमारत का व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है। हालांकि, एजेएल ने याचिका में इस आरोप को खारिज किया है। यहां पर बता दें कि हेराल्ड केस में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी गबन के आरोपी हैं। इसी मामले से जुड़े आयकर केस में दोनों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। नेशनल हेराल्ड मामले में पटियाला हाउस स्थित विशेष अदालत में सोमवार को शिकायतकर्ता भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सुनवाई टालने के लिए अर्जी दी। अर्जी में कहा गया कि केस की सुनवाई के लिए अगली तारीख तय की जाए, क्योंकि शिकायतकर्ता को किसी कार्यक्रम के सिलसिले में मालदीव जाना है। अदालत ने अर्जी को मंजूर करते हुए सुनवाई 17 नवंबर के लिए तय कर दी। भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने पटियाला हाउस कोर्ट में नेशनल हेराल्ड मामले में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल, सोनिया गांधी और अन्य पर आरोप लगाया था कि उन्होंने साजिश के तहत महज 50 लाख रुपये का भुगतान कर धोखाधड़ी की। जिसके जरिये यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने 90.25 करोड़ रुपये की वह रकम वसूलने का अधिकार हासिल कर लिया, जिसे एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड को कांग्रेस को देना था।

इस मामले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा और यंग इंडिया कंपनी आरोपित हैं। फिलहाल सभी आरोपित जमानत पर हैं।

ईडी नेशनल हेराल्ड मामले में हुड्डा पर चलाएगा केस, पूर्व सीएम ने कहा- सियासी साजिश

चंडीगढ़, 15 नवम्बर (ए)। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पंचकूला के नेशनल हेराल्ड भूमि आवंटन मामले में खुद के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा केस चलाने को राजनीति साजिश करार दिया है। हुड्डा ने कहा है कि चुनाव नजदीक देख इस तरह की साजिशें रची जा रही हैं। हरियाणा के राज्यपाल ने हुड्डा के खिलाफ पंचकूला के नेशनल हेराल्ड जमीन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को केस चलाने की इजाजत दी है। ऐसे में अब हुड्डा के खिलाफ नेशनल हेराल्ड मामले में हुड्डा पर मुकदमा चलेगा।

हुड्डा पर एसोसिएटड जर्नल लिमिटेड (एजेएल) को उसके अखबार नेशनल हेराल्ड के लिए पंचकूला में नियमों के खिलाफ जमीन आवंटन का आरोप है। इस मामले में फर्जीवाड़ा और भ्रष्टाचार के आरोप में हरियाणा सतर्कता विभाग ने पहले दर्ज किया था। इसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर पहले से ही भ्रष्टाचार का केस चल रहा है। इसके साथ ही हुड्डा के खिलाफ मानेसर जमीन घोटाला मामले में भी पंचकूला की अदालत में केस चल रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि यह मामला पूरी तरह राजनीति साजिश के तहत तैयार किया गया है। हरियाणा की मनोहरलाल सरकार मेरे खिलाफ राजनीति दुर्भावना से काम कर रही है। मुझे फंसाने के लिए साजिशें रची जा रही हैं और इसमें कोई एक व्यक्ति नहीं पूरी सरकारी मशीनरी लगा हुई है। हुड्डा ने कहा, मैं इससे डरने वाला नहीं। मुझे न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है। सारा कुछ अगले साल होनेवाले चुनाव के मद्देनजर किया जा रहा है। एसोसिएटड जर्नल लिमिटेड (एजेएल) के अखबार नेशनल हेराल्ड के लिए पंचकूला में नियमों के खिलाफ जमीन आवंटन का आरोप है। इस मामले में सतर्कता विभाग ने मई 2016 में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर केस दर्ज किया गया है। यह मामला हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (हुडा) की शिकायत पर दर्ज हुआ है।

नशे और रफ्तार का कहर : नशे में धुत कार चालक ने कुचल डाले 8 लोग

वेस्ट दिल्ली, 15 नवम्बर (ए)। पश्चिम विहार इलाके में बुधवार शाम नशा और रफ्तार का कहर दिखाई दिया। जब एक फॉर्च्यूनर कार ने करीब आधा दर्जन वाहनों में टक्कर मार दी, जिसमें आठ लोग घायल हो गए। सभी को नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने एक किशोरी को मृत घोषित कर दिया। जबकि चार की हालत गंभीर बताई। सूत्रों की मानें तो हादसे के वक्त चालक काफी ज्यादा नशे में था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपी चालक की पहचान कमल कुमार के रूप में हुई है। कमल भेरा एंक्लेव का रहने वाला है। बताया जाता है कि वह हंसराज कॉलेज से रिटायर्ड है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि हादसे में फॉर्च्यूनर कार ने एक साइकिल, स्कूटी, बाइक, ई रिक्शा और आरटीवी बस में टक्कर मारी थी।

सीमा के रूप में हुई है मृतक किशोरी की पहचान : जानकारी के मुताबिक, मृतक किशोरी की पहचान सीमा के रूप में हुई है। वह पश्चिम विहार इलाके में परिवार के साथ रहती थी। बहन के साथ स्कूटी से घर की तरफ जा रही थी। पुलिस कंट्रोल रूम को बुधवार शाम करीब सात बजकर 10 मिनट पर रानी बाग फ्लाईओवर के नीचे एक फॉर्च्यूनर कार द्वारा आधा दर्जन वाहनों को टक्कर मारने की सूचना मिली। पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने आठ लोगों को नजदीक के सहगल नर्सिंग होम में भर्ती कराया। डॉक्टरों ने सीमा नामक किशोरी को मृत घोषित कर दिया। पुलिस सूत्रों की मानें तो हादसे में फॉर्च्यूनर कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। हादसे के वक्त फॉर्च्यूनर कार पीरागढ़ी की तरफ से मीरा बाग स्थित वाइट बिल्डिंग की तरफ से काफी तेजी से आई थी।

फ्लाईओवर के पास चालक का कार से संतुलन बिगड़ गया था। कार डिवाइडर पर चढ़ गई। रफ्तार काफी तेज होने पर कार ने पहले साइकिल फिर बाइक और स्कूटी को टक्कर मारी, लाल बत्ती पर पहुंचने पर ई-रिक्शा और फिर खड़ी आरटीवी बस में टक्कर मारी, जिसमें करीब 15 सवारी मौजूद थी। इस बीच कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। लोगों ने मौके पर पहुंचकर कार से चालक को घायलावस्था में बाहर निकाला जो पूरी तरह से बेहोश और खून से लथपथ हालत में था।

सड़क किनारे का वो भिखारी निकला शहंशाह, बना औरों का सहारा

पठानकोट, 15 नवम्बर (ए)। रूखी रोटी को भी बांट कर खाते हुए देखा मैंने, सड़क किनारे वो भिखारी शहंशाह निकला...। इंसान की जिंदगी अंधे भिखारी का कटोरा हो गई है। लोग खुशियां डालते कम, उठाते ज्यादा हैं। इधर, यह दिव्यांग भिखारी है, जिसके कटोरे में औरों के लिए खुशियां जुटती हैं। पंजाब के पठानकोट में चौक-चौराहे पर भीख मांगता राजू चलने-फिरने में असमर्थ है। मैले कपड़े। धूल से लथपथ। कभी रेंगते हुए तो कभी व्हीलचेयर पर। भीख मांगना उसकी नियति ही सही, पर नीयत दाता वाली है। सोच बड़ी। बड़ा जज्बा। इतना कि दुनिया छोटी दिखे, उसके आगे भिखारी नजर आए। आंखों में जितनी दृढ़ता, चेहरे पर उतनी ही गंभीरता। मानो भीख नहीं, थोड़ी सी इंसानियत मांग रहा हो।

शहर में अधिकांश लोग उसे जानते हैं। जो नहीं जानते, उसे

देख जानने को आतुर हो उठते हैं। राजू का अंदाज ही कुछ ऐसा है। लोगों को जब उसके नेक कामों के बारे में पता चलता है तो भीख देने के लिए बढ़े हाथ सलाम को उठ जाते हैं। भीख के पैसे जोड़ वह लोगों की मदद करता है। औरों की मदद को हर समय तत्पर रहता है। समाजसेवा के कई काम करता है। जरूरत जहां भी हो, यदि उसकी हैसियत में है, तो वह मुंह नहीं ताकता। शहर की ढांगू रोड स्थित एक पुलिया टूट गई थी। कई लोग हादसे का शिकार हुए। लोगों ने संबंधित विभाग के पास शिकायत की। लेकिन प्रशासन के कान में जूं न रेंगी। एक दिन राजू भी इसी पुलिया पर हादसे का शिकार हो गया। उसने मिस्त्री बुलाकर पुलिया की मरम्मत शुरू करा दी। पुलिया बन कर तैयार है। राजू कहता है, अब कोई घायल नहीं होगा...। स्वार्थ के गंदे नाले पर बनी नेकी की यह पुलिया बड़ी नसीहत है। नसीहत उन लोगों के लिए जो नियति से भिखारी न सही, पर नीयत के पक्के भिखारी हैं। नसीहत उस समाज के लिए जो खुद को सभ्य कहता है, पर है नहीं, अपने में मस्त है, व्यस्त है, स्वार्थी है। नसीहत उस प्रशासन के लिए जो जनसेवक है, पर दिव्यांग राजू से भी अधिक लाचार है। बहरहाल, शहर के लोगों को जब पता चला कि पुलिया राजू ने बनवाई, तो सभी ने राजू को सलाम कर अपना दायित्व पूरा किया। राजू बचपन से दिव्यांग है। माता-पिता की बचपन में ही मौत हो गई थी। तीन भाई और तीन बहनें हैं। पर दिव्यांग होने की वजह से उन्होंने 30 साल पहले राजू को बेसहारा छोड़ दिया। सड़क पर भीख मांगने के अलावा जीने को कोई जरिया न था। नियति को स्वीकार कर भीख मांगना शुरू कर दिया। भाई-बहन फिर उससे कभी नहीं मिले। अपनों की बेरुखी और तिरस्कार से राजू बहुत आहत था।

यूएन में भारत ने मौत की सजा के खिलाफ किया वोट, फिर भी पास हो गया ड्राफ्ट

संयुक्त राष्ट्र, 15 नवम्बर (ए)। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत द्वारा मौत की सजा के इस्तेमाल पर पेश एक ड्राफ्ट प्रपोजल के खिलाफ वोट के बावजूद ये प्रपोजल ड्राफ्ट पास कर लिया गया। भारत ने कहा था कि यह देश के वैधानिक कानून के खिलाफ जाता है, जहां इस तरह की सजा बस दुर्लभतम मामलों में दी जाती है। महासभा की तीसरी कमेटी (सामाजिक, मानवीय, सांस्कृतिक) में पेश किए गए इस मसौदा प्रस्ताव के पक्ष में 123, खिलाफ में 36 वोट पड़े और 30 सदस्यों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। भारत उन देशों में शामिल था जिसने प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया। इस प्रस्ताव में महासभा ने सभी सदस्य देशों से मौत की सजा पाने वाले व्यक्तियों के

अधिकारों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय मानकों का सम्मान करने और यह सुनिश्चित करने का आह्वान किया कि इसे पक्षपाती कानूनों के आधार पर या कानून के भेदभावपूर्ण या मनमाने इस्तेमाल के परिणामस्वरूप लागू नहीं किया जाए। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थाई मिशन में प्रथम सचिव पाँलोमी त्रिपाठी ने देश के वोट पर सफाई देते हुए कहा कि प्रस्ताव मौत की सजा को खत्म करने के मकसद से फांसी की सजा पर रोक लगाने को बढ़ावा देने की बात करता है। त्रिपाठी ने कहा, भारत में मौत की सजा 'दुर्लभतम' मामलों में दी जाती है जहां अपराध इतना जघन्य होता है कि पूरे समाज को झकझोर देता है। भारतीय कानून स्वतंत्र अदालत द्वारा निष्पक्ष सुनवाई, दोष साबित होने तक निर्दोष माने जाने की धारणा, बचाव के लिए न्यूनतम गारंटी और ऊपरी अदालत द्वारा समीक्षा के अधिकार समेत सभी अपेक्षित प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का प्रावधान करता है।

जी20 सम्मेलन में होगी पुतिन आबे के बीच बैठक

सिंगापुर, 15 नवम्बर (ए)। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के बीच अगली बैठक अर्जेंटीना में होने वाली जी20 सम्मेलन के दौरान होगी। पुतिन ने बुधवार को सिंगापुर में आबे के साथ वार्ता शुरू होने पर कहा कि उनकी और आबे के बीच अगली बैठक 30 नवंबर से 01 दिसंबर तक अर्जेंटीना में होने वाली जी20 सम्मेलन के दौरान होगी। उन्होंने कहा, मुझे खुशी है कि मुझे आपके साथ हमारे सहयोग के सभी क्षेत्रों पर चर्चा करने का अवसर मिल रहा है। इनमें वह क्षेत्र भी शामिल हैं कि जो आपकी वरीयता की सूची में शामिल हैं। उन्होंने कहा, अभी हमारी जी20 के दौरान अर्जेंटीना में बैठक होनी है।

पेरिस में लग्जरी कार से मिला शेर का शावक, चालक गिरफ्तार

पेरिस, 15 नवम्बर (ए)। फ्रांस की राजधानी पेरिस में पुलिस ने एक खूबसूरत गलियारे चैम्प्स-एलिसीज पर खड़ी लग्जरी कार से शेर का शावक बरामद किया है। व्यस्त सड़क पर जांच-पड़ताल के दौरान पुलिस को पता चला कि यह लैंबोर्गिनी कार से किराए का है। पुलिस कार के चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पुलिस इसे उन मामलों से जोड़कर देख रही है जिनमें वन्यप्राणी को अवैध रूप से पालतू पशु की तरह रखा गया था। पिछले महीने भी पेरिस के उपनगरीय इलाके के एक अपार्टमेंट से पुलिस ने छह हफ्ते का शावक बरामद किया था। इस मामले में अपार्टमेंट के मालिक को छह महीने की सजा दी गई थी।

रोहिंग्या शरणार्थियों की देश वापसी पर संदेह, नहीं जाना चाहते ज्यादातर लोग

कॉक्स बाजार, 15 नवम्बर (ए)। बांग्लादेश स्थित शिविरों में रहने वाले लाखों रोहिंग्या शरणार्थियों के वापस म्यामां जाने पर संदेह बना हुआ है क्योंकि उनमें से कोई अपने देश लौटना नहीं चाहता। बांग्लादेश के शरणार्थी आयुक्त ने यह जानकारी दी। म्यामां में सेना की क्रूर कार्रवाई, हत्या, बलात्कार और आगजनी का मंजर देखने के बाद भाग कर बांग्लादेश में शरण लेने वाले रोहिंग्या समुदाय के ये लोग वापस भेजे जाने की डर से इधर-उधर छुप गए हैंइन सभी को

संयुक्त राष्ट्र की चेतावनी के बावजूद अधिकारी इन्हें वापस भेजने पर अड़े हुए हैं। हालांकि, बांग्लादेश के शरणार्थी आयुक्त ने 150 रोहिंग्या शरणार्थियों के पहले जत्थे को गुरुवार को वापस भेजने पर संदेह जताया है। बांग्लादेश की योजना कुल 2,260 शरणार्थियों को अभी वापस देश भेजने की है। मोहम्मद अबुल कलाम ने 'एएफपी' से कहा, ''यूएनएचसीआर के आकलन के अनुसार, जिन 50 परिवारों का साक्षात्कार किया गया, उनमें से कोई भी मौजूदा परिस्थितियों में वापस जाने को तैयार नहीं है। कोई भी अभी वापस जाने में सुरक्षित महसूस नहीं करता।